रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 214] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 25, 1975/कार्तिक 3, 1897

No. 214] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25, 1975/KARTIKA 3, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 25th October 1975

No. DRAWBACK/PN-78/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No.602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

For sub-serial No. 1110 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
1110	Alum & Aluminium Sulphate iron free—	
	(i) Ammonia Alum.	Rs. 25·00 (Rupees twenty five only) per tonne.
	(ii) Aluminium Sulphate	Rs. 29·40 (Rupees twnety nine and paise forty only) per tonne.

This Public Notice shall come into force on the 26th day of October, 1975.

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर 1975

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-78/75:—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपक्रम सं० 1110 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1110	फिटकरी तथा एल्यूमिनियम सल्फेट जिसमें लोहा न हो —	
	(i) अमोनिया फिटकरी	25.00 रु० (केवल पच्चीस रु०) प्रति टन ।
	(ii) एल्यूमिनियम सलफेट	29.40 रु० (केवल उन्तीस रु० और चालीस पैसे) प्रति टन

यह सार्वजनिक सूचना अक्तूबर, 1975 के 26वें दिन को प्रभावी होगी ।

सो० भुजंगस्वामी, उप-सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975